न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 653 / 2023

अनवान : –

1. पेमाराम पुत्र मामराज जाति दरोगा निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. सोहनसिंह पुत्र मामराज जाति दरोगा निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मामराज पुत्र गोपाल जाति दरोगा निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. नितेश पुत्री मामराज पत्नी अजयसिंह जाति राजपूत हाल निवासी पिपेरा तहसील व जिला बीकानेर।
3. सुनिता कंवर पुत्री मामराज पत्नी रविन्द्र सिंह जाति राजपुत हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
4. बिमला कंवर पुत्री मामराज पत्नी रामसिंह जाति राजपूत हाल निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
5. कोयल पुत्री मामराज पत्नी गिरधारी सिंह जाति राजपूत हाल निवासी निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
6. कृष्णा कंवर पुत्री मामराज पत्नी बलबीरसिंह जाति राजपूत हाल निवासी मितासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
7. सरबती कंवर पुत्री मामराज पत्नी सुलतान सिंह जाति राजपुत हाल निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
8. भगवन्ती कंवर पुत्री मामराज पत्नी विनोद सिंह जाति राजपूत निवासी ठेठार तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पल्लू तहसील पल्लू।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/07/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के ख0न0 236 की 0.3540 हैक्ट भूमि, 237 की 6.2870 हैक्ट, 238 की 4.7820 हैक्ट ख0न0 242 की 0.6830 हैक्ट, ख0न0 323 की 0.7970 हैक्ट कुल 12.9030 हैक्ट भूमि वादीगण दादा गोपाल की कृषि भूमि थी जो पुस्तैनी जददी जायदाद की तारीफ में आती है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा गोपाल खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतदगी के बाद वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा सिरंगसर सम्वत 2030–33 खाता संख्या 49 प्रदर्श–1, जमाबंदी रोही मौजा सिरंगसर खाता संख्या 2074–2077 खताा संख्या प्रदर्श–2 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के ख0न0 236 की 0.3540 हैक्ट भूमि, 237 की 6.2870 हैक्ट, 238 की 4.7820 हैक्ट ख0न0 242 की 0.6830 हैक्ट, ख0न0 323 की 0.7970 हैक्ट कुल 12.9030 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के ख0न0 236 की 0.3540 हैक्ट भूमि, 237 की 6.2870 हैक्ट, 238 की 4.7820 हैक्ट ख0न0 242 की 0.6830 हैक्ट, ख0न0 323 की 0.7970 हैक्ट कुल 12.9030 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 653 / 2023
अनवान : –

1. पेमाराम पुत्र मामराज जाति दरोगा निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. सोहनसिंह पुत्र मामराज जाति दरोगा निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मामराज पुत्र गोपाल जाति दरोगा निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. नितेश पुत्री मामराज पत्नी अजयसिंह जाति राजपूत हाल निवासी पिपेरा तहसील व जिला बीकानेर।
3. सुनिता कंवर पुत्री मामराज पत्नी रविन्द्र सिंह जाति राजपुत हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
4. बिमला कंवर पुत्री मामराज पत्नी रामसिंह जाति राजपूत हाल निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
5. कोयल पुत्री मामराज पत्नी गिरधारी सिंह जाति राजपूत हाल निवासी निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
6. कृष्णा कंवर पुत्री मामराज पत्नी बलबीरसिंह जाति राजपूत हाल निवासी मितासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
7. सरबती कंवर पुत्री मामराज पत्नी सुलतान सिंह जाति राजपुत हाल निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
8. भगवन्ती कंवर पुत्री मामराज पत्नी विनोद सिंह जाति राजपूत निवासी ठेठार तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पल्लू तहसील पल्लू।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 653 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हरिसिंह सिहाग एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के ख0न0 236 की 0.3540 हैक्ट भूमि, 237 की 6.2870 हैक्ट, 238 की 4.7820 हैक्ट ख0न0 242 की 0.6830 हैक्ट, ख0न0 323 की 0.7970 हैक्ट कुल 12.9030 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर